(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 413–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–1–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 87/अपील/2011–12

.....

बरजोर सिंह आ0 श्री भीकाजी राजपूत
निवासी खरतलाय तहसील टिमरनी
जिला हरदा म0प्र0 ..... आवेदक

विरूद्ध

राजेंद्र आ0 श्री आत्माराम बलाही,
निवासी खरतलाय तहसील टिमरनी
जिला हरदा म0प्र0 ..... अनावेदक

.....

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8/1/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–1–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार टिमरनी के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की कृषि भूमि खरतलाय स्थित सर्वे कमांक 141/5, 142/4, 142/9 कुल रकबा 2.695 हेक्टेयर है उसके द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर भूमि के पूर्वी भाग के 0.13 एकड़ पर अनावेदक का अवैध अतिकमण पाया गया, अतः उक्त भूमि का कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 09/अ–70/2009–10 दर्ज कर दिनांक 3–9–2011 आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदक को सौंपने का आदेश दिया गया ।

तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13–1–2012 को आदेश पारित किया जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–1–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत् रखते हुये द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा विधिवत् अपनी भूमि का सीमांकन कराया गया है जिसमें आवेदक का अनावेदक की भूमि पर अवैध कब्जा निकलने से तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आदेश पारित किया जाकर आवेदक को भूमि सौंपने का आदेश पारित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सीमांकन को अवैध पाते हुये तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत पारित आदेश को निरस्त किया गया है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन को आक्षेपित नहीं किया जाता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा सीमांकन आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत नहीं किये जाने से वह अंतिम हो गया है और उसकी वैधानिकता की जॉच करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं रह जाता है । उनके द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयो के आदेश निरस्त किये जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं जिसमें हस्तक्षेप का आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन स्थायी सीमा चिन्हों व चॉदा आदि से नहीं किया गया है, अतः ऐसे अवैधानिक सीमांकन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत पारित आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) सीमांकन में अनावेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, इस कारण भी ऐसे सीमांकन के आधार पर पारित सीमांकन आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा जिस सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है व सीमांकन विधिवत् अनावेदक की उपस्थिति में नहीं किया गया है । इसी आशय का निष्कर्ष अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी निकाला गया है कि सीमांकन की कार्यवाही विधिवत् अनावेदक की उपस्थिति में नहीं हुई है, अतः अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत पारित आदेश स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थितियों में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 7—1—2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर